स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/43737 जयपुर दिनांकः 25/08/2020

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा–105, 325 तथा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नगर निगम/परिषद /पालिकाओं की उपविधियों में लाईसेंस फीस सम्बन्धी विभागीय आदेश क्रमांक प. 8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/1680 दिनांक 31.01.17 में निर्धारित वार्षिक लाईसेंस फीस संबंधी प्रावधान में राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 337 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार संशोधन करती है:–

"उक्त विभागीय आदेश दिनांक 31.01.17 के नोट में नवीन संख्या 8 के नीचे नोट संख्या 9 को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:–

<u>नोट संख्या 9:–</u> किसी आवेदक द्वारा होटल/रेस्टोरेन्ट आदि का नवीनीकरण हेतु आवेदन online किया जावेगा तो आवेदनकर्ता के पूर्व में संग्रहित डाटा के आधार पर निर्धारित फीस online जमा होने के पश्चात् स्वतः ही नवीनीकृत लाईसेन्स जारी हो जावेगा।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/43738-44223 दिनांकः 25/08/2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजि सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
6. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी. असाधारण अंक मे उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित कराने हेतु।
7. समस्त अधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय एवं उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, समस्त राजस्थान।
8. सी.एम.ए.आर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned with CamScanner